संख्या-36/2020/935/आव-1-20-03बैठक/13 टीसी

प्रेषक,

दीपक कुमार
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
3. **अध्यक्ष/जिलाधिकारी,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊः दिनांकः 15 जुलाई, 2020**

विषयः– कोविड–19 के दृष्टिगत उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों के सापेक्ष देयता के सम्बंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

केन्द्र सरकार द्वारा कोविड–19 के दृष्टिगत घोषित आर्थिक पैकेज के क्रम में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा निर्गत प्रपत्र क्रमशः दिनांक 27 मार्च एवं 23 मई, 2020 तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 28 मई, 2020 के आलोक में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों के सापेक्ष देयता के सम्बंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नानुसार कार्यवाही का निर्णय लिया गया हैः–

(1) सभी देयताओं पर दिनांक 01.03.2020 से दिनांक 31.08.2020 तक की अवधि के लिए कोई दण्ड ब्याज अधिरोपित नहीं किया जायेगा, बशर्ते उक्त देयता दिनांक 30.09.2020 तक जमा कर दी जाये। उक्त अवधि में देय किश्तों/एकमुश्त धनराशि की वसूली संबंधित विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद की सामान्य ब्याजदर सहित की जायेगी।

(2) आवासीय/व्यवसायिक सम्पत्तियों के आवंटन में देय धनराशि 45/60 दिन में एकमुश्त जमा किये जाने पर यदि कोई छूट अनुमन्य हो तो उक्त 45/60 दिन की गणना में दिनांक 01.03.2020 से दिनांक 31.08.2020 तक की अवधि को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(3) उपरोक्त बिन्दु–(1) व (2) को किसी प्रकार का "Concession" या Change in terms and conditions of agreement" नहीं माना जायेगा। पूर्व से लागू terms and conditions of agreement यथावत बने रहेंगे।

2– इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन के उक्त निर्णय के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव

D:/YadavJi/Final/Awneesh Sir /GO 2019

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. निजी सचिव, मा. मंत्री जी/मा. राज्य मंत्री जी आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन।
5. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र., लखनऊ।
6. निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए इसका प्रचार–प्रसार करने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(माला श्रीवास्तव)
विशेष सचिव

D:/YadavJi/Final/Awneesh Sir /GO 2019

संख्या-36/2020/935/आठ–1–20–03बैठक/13 टीसी

प्रेषक,

दीपक कुमार
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
3. **अध्यक्ष/जिलाधिकारी,**
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊः दिनांकः 15 जुलाई, 2020**

विषयः– कोविड–19 के दृष्टिगत उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों के सापेक्ष देयता के सम्बंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

केन्द्र सरकार द्वारा कोविड–19 के दृष्टिगत घोषित आर्थिक पैकेज के क्रम में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा निर्गत प्रपत्र क्रमशः दिनांक 27 मार्च एवं 23 मई, 2020 तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 28 मई, 2020 के आलोक में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों के सापेक्ष देयता के सम्बंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नानुसार कार्यवाही का निर्णय लिया गया हैः–

(1) सभी देयताओं पर दिनांक 01.03.2020 से दिनांक 31.08.2020 तक की अवधि के लिए कोई दण्ड ब्याज अधिरोपित नहीं किया जायेगा, बशर्ते उक्त देयता दिनांक 30.09.2020 तक जमा कर दी जाये। उक्त अवधि में देय किश्तों/एकमुश्त धनराशि की वसूली संबंधित विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद की सामान्य ब्याजदर सहित की जायेगी।

(2) आवासीय/व्यवसायिक सम्पत्तियों के आवंटन में देय धनराशि 45/60 दिन में एकमुश्त जमा किये जाने पर यदि कोई छूट अनुमन्य हो तो उक्त 45/60 दिन की गणना में दिनांक 01.03.2020 से दिनांक 31.08.2020 तक की अवधि को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(3) उपरोक्त बिन्दु–(1) व (2) को किसी प्रकार का "Concession" या Change in terms and conditions of agreement" नहीं माना जायेगा। पूर्व से लागू terms and conditions of agreement यथावत बने रहेंगे।

2– इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन के उक्त निर्णय के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव

D:/YadavJi/Final/Awneesh Sir /GO 2019

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. निजी सचिव, मा. मंत्री जी/मा. राज्य मंत्री जी आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन।
5. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र., लखनऊ।
6. निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए इसका प्रचार–प्रसार करने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(माला श्रीवास्तव)
विशेष सचिव

D:/YadavJi/Final/Awneesh Sir /GO 2019